फा.सं. ए.12028/02/2023-डीआरएस

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषध नियंत्रक अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 06 फ़रवरी, 2023

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में औषध निरीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं। भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रालय द्वारा विनिदष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर नियमों/आवश्यकताओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी कक्ष संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत की जा सकती हैं या bikash.mahato@nic.in पर भेजी जा सकती है।

संलग्नक: यथोपरि

(विकाश आर माहातो)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:- 011-23061141

अधिसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
औषध निरीक्षक	*404)2023(कार्यभार के * आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन लेवल-8	लागू नहीं	वर्ष 30से अधिक न हो। टिप्पण :1 केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष की 5 आयु तक की छूट। टिप्पण सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक -आयु :2 तारीख का निर्धारण यूपीएससीएसएससी द्वारा किया जाएगा/।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से क्लिनिक फार्माकोलॉजीकल या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ फार्मेसी अथवा फार्मास्टिकल विज्ञान या मेडिसिन में डिग्री टिप्पणी-1 :अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के चलते यूपीएससी के विवेक पर अर्हता में ढील दी जा सकती है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 2

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से

द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा।	है तो उसकी संरचना क्या है।	परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) सीधी भर्ती द्वारा 80 प्रतिशत (ii) सहायक औषध निरीक्षक के ग्रेड से प्रोन्नति द्वारा 20 प्रतिशत	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 का सहायक औषध निरीक्षक जिसने इस ग्रेड में वर्ष की नियमित 6 सेवाकी हो	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति और (ति पर विचार करने हेतुप्रोन्न) विभागीय स्थायीकरण समिति) स्थायीकरण पर विचार करने के लिए(में निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अध्य -क्ष 2. औषध नियंत्रक (भारत), डीजीएचएस– सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य	संघ लोक सभा आयोग के साथ परामर्श।

[फा.सं. ए.12028/02/2023-डीआरएस]

(बिकाश आर माहातो)
अवर सचिव, भारत सरकार